RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-09
September -2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

भारत में विकलांगता : दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के विशेष संदर्भ में

अनुराग तिवारी

शोधार्थी, मालवीय शांति अनुसंधान केंद्र, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 07 September 2018

Keywords
विकलांगता, दिव्यांगता, भारतीय समाज, संयुक्त राष्ट्र संघ, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम।

ABSTRACT

विकलांगता या आधुनिक संदर्भों में कहें तो दिव्यांगता एक ऐसी शारीरिक एवं मानसिक क्षति है जिससे प्रभावित कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों की तरह किसी कार्य को करने में असमर्थ होता है। अगर तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो विकलांग एवं विकलांगता दोनों ही व्यापक संदर्भ वाले शब्द है जिनकी परिभाषाएँ भी एक से अधिक और परिवर्तनशील रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विकलांगता को एक ऐसी अक्षमता के रूप में चिन्हित करता है जिसके कारण इससे प्रभावित व्यक्ति उस ढंग से कार्य करने में असमर्थ होता है जैसा कि एक सामान्य व्यक्ति कर सकते है। वही भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को विकलांगता की श्रेणी में रखा जाता है (भारतीय व्यवस्था में विकलांगता के लिए श्रेणी का उल्लेख भी किया गया है) जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित 40 प्रतिशत से कम विकलांगता से ग्रसित न हो। भारतीय व्यवस्था में विकलांगता का मापदंड विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकृत विकलांगता की परिभाषा से भिन्न एवं छोटे या सीमित दायरे वाला है। यही कारण है कि जहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व की 15 फीसदी आबादी विकलांगता से ग्रसित है, वहीं भारतीय मानकों के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर देश की कुल आबादी का 2.21 प्रतिशत या 2.68 करोड़ लोग विकलांगता से ग्रसित है। 2011 की जनगणना में 8 प्रकार की विकलांगताओं को सम्मिलित किया गया था वहीं 2016 में पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में इस परिधि का विस्तार करते हुए 21 प्रकार की विकलांगताओं को चिन्हित किया गया है। प्रस्तुत आलेख में विकलांगता के प्रति भारतीय समाज का क्या दृष्टिकोण रहा है, दिव्यांग शब्द को गढ़ने का कारण तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 पर प्रकाश डाला गया है। आलेख के अंत में उन महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा की गयी है जो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु प्रभाव डाल सकते है।

भारतीय सामाजिक परिदृश्य में विकलांगता के प्रति दृष्टिकोण

भारतीय समाज अपने शुरुआती दौर से ही विकलांगता के प्रति असहिष्णु रहा है। समाज में विकलांगजनों को अशुभ मानने की एक पुरानी परंपरा रही है, जो आज भी चली आ रही है। हमारे समाज में एक वृहत स्तर पर आज भी अक्षमता को पूर्व जन्मों में किये गए पापों का परिणाम माना जाता है और इससे प्रभावित व्यक्ति को दया के पात्र के रूप में देखा जाता है। विभिन्न रीति–रिवाजों, उत्सवों एवं शुभ अवसरों पर विकलांगजनों की उपस्थिति को सहज रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। विकलांगजनों को एक सामाजिक बोझ के रूप में समझकर उनका तिरस्कार किया जाता है। कभी–कभी तो परिवार के सदस्यों द्वारा ही इनका तिरस्कार किया जाता है, जिस कारण विकलांग व्यक्ति कुंठित होने लगता है और धीरे–धीरे उसके मानसिक विकास में भी बाधा उत्पन्न होने लगती है और वह मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। विकलांगजनों को बोझ समझने के पीछे मानसिकता मुख्य रूप से यही है कि उत्पादन कार्यों में उनकी अपेक्षाकृत कम संलग्नता रहती है और वह अपनी कुछ जरूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित रहते है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि उत्पादन कार्य न करने वाले और अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित रहने वाले किसी भी व्यक्ति को समाज में बोझ ही समझा जाता है, फिर चाहे वह सामान्य व्यक्ति हो या विकलांग व्यक्ति, जबकि इसके ठीक उलट कमाऊ सदस्य को कभी भी घर या समाज पर बोझ नहीं समझा जाता, फिर चाहे वह विकलांग व्यक्ति ही क्यों न हो। इन सभी बातों को यदि सम्मिलित रूप से देखा जाये तो यह कहा जा सकता है कि विकलांगजनों का आर्थिक पुनर्वास उनके सामाजिक पुनर्वास की प्राथमिक शर्त है, जबकि उनके चिकित्सीय एवं शैक्षिक पुनर्वास उनके आर्थिक पुनर्वास का माध्यम है एवं जो उनके सशक्तिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि विकलांगजन समाज में अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते है। चूँकि, विकलांगजन अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते है लेकिन समाज के एक सदस्य के रूप में वे भी समाज के उत्थान हेतु एक संभावित संसाधन होते है, इसीलिए उन्हें भी कौशल विकास के माध्यम से समाज हेतु एक उपयोगी मानव संसाधन बनाया जा सकता है। इस संदर्भ में कहें तो एक जिम्मेदार एवं संवेदनशील समाज का यह कर्तव्य है कि वह अपने अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति भी उदार और सहयोगी भाव रखे और उनकी सहूलियतों को भी ध्यान में रखते हुए अपने संसाधनों एवं सुविधाओं का विकास उस विशेष वर्ग के हित में भी करे जिससे उस वर्ग का बह सामाजिक उत्थान हो सके और वह वर्ग भी समाज भी सशक्त हो सके। वैश्विक स्तर पर विकलांगजनों के प्रति एवं उनके सशक्तिकरण हेतु "विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन (2006)" का अनुच्छेद–9 कन्वेंशन पर हस्ताक्षरित सभी

RRIJM 2015, All Rights Reserved

राष्ट्रीय सरकारों को भौतिक वातावरण, परिवहन, सुचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा विभिन्न सेवाओं तक विकलांग व्यक्तियों के सुगम पहुँच को सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपता है, जिससे विकलांगजन भी समाज में पूर्ण रूप से सहभागिता कर सके। इस दिशा में भारत सरकार ने भी विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक सशक्तिकरण हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाये है। इस संदर्भ में भारत सरकार के "दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग" ने एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप अभियान के तौर पर "सुगम्य भारत अभियान" की शुरुआत की है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विकलांगजनों हेतु समाज में सुगम्य वातावरण का निर्माण करना है जिससे उनके सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके एवं उनके सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूत किया जा सके।

विकलांग से दिव्यांग तक का सफर

किसी भी प्रकार की अक्षमता या असमर्थता से ग्रसित व्यक्ति को विकलांग कहकर सम्बोधित करना हमारे समाज में एक सामान्य प्रचलन में है। लेकिन इस शब्द को परिवर्तित कर एक नए शब्द को गढ़ने का कार्य किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिससे ऐसे व्यक्तियों के बारे में समाज के सोच में परिवर्तन लाया जा सके। 27 दिसंबर, 2015 को अपने रेडियो संबोधन कार्यक्रम "मन की बात" में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अक्षमता से ग्रसित व्यक्तियों के पास एक "दिव्य" क्षमता होता है, अतः उनके लिए "विकलांग" शब्द की जगह "दिव्यांग" शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। हालाँकि, इसके बाद इस मुद्दे पर देश भर में विकलांगजनों के अधिकारों के लिए कार्य कर रहे अनेक संगठनों ने दिव्यांग शब्द को लेकर आपत्ति भी जताई और इस शब्द का आधिकारिक तौर पर प्रयोग न किये जाने की मांग की। इन संगठनों का इस संदर्भ में मुख्य रूप से यह कहना है कि केवल शब्द बदल देने मात्र से विकलांगजनों के साथ होने वाले व्यवहार के तौर–तरीकों में कोई बदलाव नहीं आ जाएगा। विकलांगजन जिस भेदभाव और अपयश का सामना सदियों से करते आ रहे है वह केवल देवत्त्व की उपमा देने मात्र से कम नहीं हो जाएगा। बहरहाल, विकलांगजनों को दिव्यांगजन कहने के पीछे प्रधानमंत्री की मंशा चाहे जो भी रही हो, पर उन्होंने इस विषय को चर्चा के केंद्र में पुनः ला दिया जो चर्चा के केंद्र से लगभग नदारद ही रहता था।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय व गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु "भाग–4 में राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों" के अंतर्गत "अनुच्छेद–41" में यह उल्लिखित है कि "राज्य निःशक्तजनों (विकलांग या दिव्यांग) को लोक सहयता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।" विकलांगजनों के कल्याण एवं विकास हेतु विभिन्न सरकारों द्वारा समय–समय पर विभिन्न प्रयास किये गए है, जो इस प्रकार है–

- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987;
- भारतीय पुनर्वास अधिनियम, 1992;
- निःशक्तजन (सामान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995;
- ऑटिज्म, सेरेब्रल पालसी, मानसिक मंदता एवं बहु–विकलांगता के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999;
- राष्ट्रीय विकलांगजन नीति, 2006;
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और
- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017.

यहाँ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के बारे में चर्चा को केंद्रित किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 पूर्व में पारित विकलांगजन अधिनियम, 1995 से कई मामलों में विस्तृत है। इस अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है विकलांगता या दिव्यांगता की संख्या में वृद्धि करना। 1995में पारित अधिनियम के तहत जहाँ 7 प्रकार की विकलांगताओं को चिन्हित किया गया था वही 2016 के अधिनियम में इसमें वृद्धि कर इसे 21 कर दिया गया है तथा साथ ही संसद को यह अधिकार भी प्रदान किया गया है कि वह चाहे तो इसकी संख्या में और भी वृद्धि कर सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत अब "कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, बौनापन, तेजाब पीड़ित, पार्किंसन रोग से पीड़ित, हेमोफिलिया, थेलेसिमिया, सिक्कल कोशिका रोग से ग्रसित व्यक्ति" को भी दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। इस अधिनियम में विकलांगता या दिव्यांगता की परिभाषा भी उसी प्रकार से रखी गई है जैसी "संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय (2006)" के अंतर्गत है। यह अधिनियम दिव्यांगता को परिभाषित करते हुए कहता है कि *"दिव्यांगजन से आशय ऐसी दीर्घकालिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी हानि वाले व्यक्ति से है जिसे ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उसे अन्य सामान्य व्यक्तियों की भांति समान रूप से समाज में पूर्ण भागीदारी करने में रुकावट उत्पन्न करते है।"* इसके अंतर्गत एक नए शब्द "संदर्भित दिव्यांगजन" (Benchmark Disability) को चिन्हित किया गया है "जिसके अंतर्गत 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति को सम्मिलित किया गया है।" इस अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण की सीमा को तीन फीसदी से बढाकर चार फीसदी एवं शिक्षण संस्थानों में इसे पांच फीसदी कर दिया गया है। इस कानून में यह भी प्रावधान उल्लिखित है कि, देश के प्रत्येक जिले में ऐसे विशेष कोर्ट बनाये जाएंगे जो दिव्यांगजनों के अधिकारों के हनन की मामलों की सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत सरकारी एवं निजी इमारतों को

दिव्यांगजन हेतु सुगम एवं सुलभ बनाये जाने की बात भी की गई है जिससे इमारतों के अंदर उनके आवागमन को सुगम बनाया जा सके। कुल मिलकर यदि देखें तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के जरिये भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय (2006) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है तथा साथ–ही–साथ दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया है।

सुझाव एवं मूल्यांकन

विकलांगजनों के कल्याण एवं उनके पुनर्वास को समावेशी बनाने के लिए सरकार ने नीतियों एवं योजनाओं के माध्यम से प्रयास तो किया है, जो काफी हद तक सफल भी रहा है। लेकिन इस तथ्य को भी सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती कि, विकलांगजनों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मात्र नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण करना ही प्रयाप्त नहीं है अपितु उन नीतियों एवं योजनाओं को धरातल पर भी लाना होगा जिससे विकलांगजनों के लिए निर्मित हुयी नीतियों का समूचा लाभ विकलांगजनों को मिल सके क्योकि व्यावहारिक रूप से यदि देखें तो विकलांगजनों की स्वंय इन योजनाओं तक पहुँच नहीं हो सकती। एक महत्वपूर्ण गौर करने वाली बात यह भी है कि विकलांगता के संदर्भ में भारत सरकार की नीतियों का यदि सम्पूर्ण विश्लेषण किया जाये तो यह ज्ञात होता है कि यह नीतियां अपनी मूल प्रकृति में सुरक्षात्मक कम, उपचारात्मक अधिक है। यानि कि यह विकलांगता की रोकथाम से ज्यादा उसके उपचार को महत्त्व देती है। यह विकलांगता के लिए लागु होने वाली नीतियों की एक बहुत बड़ी खामी है। गौरतलब है कि, विकलांगता के संदर्भ में सरकार की नीतियां उपचारात्मक होने के साथ–साथ सुरक्षात्मक भी होनी चाहिए, यानि की सरकार को विकलांगता का प्रसार रोकने के लिए भी उतनी ही ऊर्जा के साथ प्रयास करना चाहिए, जितनी ऊर्जा वह विकलांगों के हित में कार्य करने में लगाती है। देखा जाये तो विकलांगजनों के कल्याण हेतु निर्मित नीतियों में अभी समावेशन का अभाव दृष्टिगोचर होता है। अपनी तमाम खूबियों या खामियों के बावजूद यह बात स्पष्ट होती है कि अभी हमारी नीतियों में सुधार की गुंजाइश और समावेशन का अभाव है। इसके साथ ही सरकार को इस बात को भी समझना होगा कि नीतियों का बन जाना या उनका क्रियान्वयन कर देना ही अंतिम उपलब्धि नहीं है बल्कि, नीतियों की उपलब्धि तो इस तथ्य में निहित है कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी इन नीतियों की प्रति सजग हो, वह अपने अधिकारों, कर्त्तव्यों और संवेदनशीलता पर स्वंय विचार कर सकें और जब तक यह उपलब्धि हासिल नहीं हो जाती तब तक हमारी नीतियों में सुधार की गुंजाइश और समावेशन का अभाव बना ही रहेगा।

संदर्भ–सूचि

1. भारत. नई दिल्ली. बिल 49, *दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016*, भाग II, खण्ड 1, 2016 (27 दिसंबर, 2016), भारत का राजपत्र, 2016.http://disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPWD%20Act%20-%20Hindi-2016.pdf
2. भारत. नई दिल्ली. बिल 1, *विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम), 1995.* भाग II, खण्ड 1, 1996 (1 जनवरी, 1996), भारत का राजपत्र, 1996. http://www.disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/PWD_Act.pdf
3. यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसैबिलिटीज. (यूनाइटेड नेशंस पब्लिकेशंसः राइट्स एंड परमिशन, 2006). http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convention_accessible_pdf.pdf
4. सिंह, जे.पी. एंड मनोज के. दाश. *डिसेबिलिटी डेवलपमेंट इन इंडिया.* नई दिल्लीः कनिष्का पब्लिशर्स, 2005.
5. शर्मा, ब्रजकिशोर. *भारत का संविधान एक परिचय.* नई दिल्लीः पी. एच. आई. लर्निंग, 2015.
6. सोशल स्टेटिस्टिक्स डिवीजन. डिसेबल्ड पर्सन्स इन इंडिया अ स्टेटिस्टिकल प्रोफाइल, 2016.
7. कक्कड़, स्तुति. *विकलांगता को समझिये.* योजना 57, अंक 4, 2013.
8. आबिदी, जावेद और दोरोदी शर्मा. *विकलांगता एक मानवाधिकार मुद्दा.* योजना 57, अंक 4, 2013.
9. रंजन, दीपक. *विकलांगजनः शारीरिक पुनर्वास व संस्थागत प्रयास.* योजना 60, अंक 5, 2016.
10. भारत सरकार. *सुगम्य भारत अभियान.*

RRIJM 2015, All Rights Reserved